(Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)11/2005-II, Dated 7th June, 2013 as required under Articles 348 (3) of the Constitution of India).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF FORESTS

No. FFE-B-F(6)-11/2005-II/ Lippa Asrang

Dated Shimla-2, the 7th June, 2013

NOTIFICATION

Whereas a Notification under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972) was issued by the Government vide Notification No. FFE-B-F(6)-2/99-II dated 7.9.2001 to declare **Lippa Asrang as Wildlife Sanctuary** comprising an area of 31.00 sq. km;

And whereas, the matter with regard to the rationalization of the Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh was under consideration of the Hon'ble Supreme Court in IA No. 139/2010 in Writ Petition Civil No. 337 of 1995 titled Centre for Environmental Law, WWF-I Versus Union of India & Others:

And whereas, in pursuance to the Hon'ble Supreme Court order 7th May 2010, the State Government issued intention Notifications under Section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 in respect of Wildlife Sanctuaries and National Parks for which rationalization has been proposed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 05/08/2011, further directed the State Government to follow the procedure laid down under Section 18 to 26A and 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 before issuance of the final Notifications under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972, which procedure was duly followed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 01/02/2013, passed in IA No. 155 (earlier IA No. 139/2010), has permitted the State Government to issue final Notifications under Sections 26A, 35(4) & 36A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 with regard to the proposed rationalization of boundaries of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh;

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 26A of the Act ibid is pleased to declare an area of 31.00 sq. km of Lippa Asrang as 'Lippa Asrang Wildlife Sanctuary' with immediate effect for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife and its environment, in supersession of earlier notification No. FFE-B-F(6)-2/99-II dated 7.9.2001.

The limits of Lippa Asrang Wildlife Sanctuary shall be as under:

Sr.	Name of Wildlife	Constituents	s	Boundaries of Lippa Asrang
No.	Sanctuary	i)District ii) Forest Division		Wildlife Sanctuary.
1.	Lippa Asrang	i)Kinnaur ii)Sarahan Division	(Wildlife)	NORTH: Taiti Gad from the point
				3440 mtr. down to point 3225 mtr.
				which is located at the meeting point
				with a stream flowing from South –
				East into Taiti Gad.
				EAST: From the point 3225 mtr.
				along precipitous ridge to the West
				of Bhogto dogri upto point 4465 mtr.
				SOUTH: From point 4465 mtr.
				along ridge (Tehsil boundary of
				kalpa and Morang) passing through
1				high point 4404 mtr., 4977 mtr., 5122 mtr. upto Drimbling glacier at
				high point 5088 mtr.
				S. P.
1 1				WEST: From point 5088 mtr. along
	ļ			Drimbling Gad originating from
				Drimbling glacier down stream upto
				Taiti Gad at point 3440 mtr.

This area is situated within the Geo-coordinates North Lat.31^o 44' 21"N & Long.78^o15'00"E East Lat.31^o40'32"N & Long.78^o18'07"E, South Lat.31^o39'29"N & Long.78^o17'24"E West Lat.31^o41'27"N & Long.78^o13'09"E which falls on Survey of India topo sheet No. 53 I/2 and 53 I/6 on scale 1: 50,000.

Area of Lippa Asrang Wildlife Sanctuary= 31.00 sq. km

By Order

Principal Secretary (Forestts) to the Government of Himachal Pradesh.

Endst. No As above Copy forwarded to:-

Dated Shimla-2 the

7th June, 2013

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 2. All the Divisional Commissioners, Shimla, Mandi & Dharamshala, H.P.
- 3. All the Heads of Departments of H.P.
- 4. The Principal Chief Conservator of Forests, H.P. Shimla-1
- 5. The Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife) H.P. Shimla-1.
- 6. All CCFs / DFOs (Wildlife) in H.P.
- 7. All the Deputy Commissioners in H.P.
- 8. All the CCFs/CFs /DFOs in H.P.
- 9. ALR-cum- Under Secretary Law to the Government of Himachal Pradesh.
- 10. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla.
- 11. The Controller H.P. Printing & Stationary Department Shimla-5 for publication in the Raj-Patra (Extra-ordinary) Five Copies of the Raj-Patra be sent to this Department.
- 12. Guard File.

Under Secretary (Forests) to the Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार वन विभाग

संख्याः एफ.एफ.ई.-बी-एफ.(6)-11/2005-II लिप्पा आसरंग तारीख शिमला-2, 7 जून, 2013 अधिसूचना

सरकार ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 26क के अधीन अधिसूचना संख्याः एफ.एफ.ई.—बी—एफ.(6)—2/99—II तारीख 7—9—2001 द्वारा 31.00 वर्ग किलोमीटर से समाविष्ट क्षेत्र **लिप्पा आंसरंग** को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित करने की अधिसूचना जारी की थी;

और हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों के युक्तिकरण की बाबत मामला आईए न0 139/2010 इन रिट पिटिशन सिविल न0 337 ऑफ 1995 नामतः सेन्टर फॉर एनवारनमैंटल लॉ, डबल्यू डबल्यू एफ—I बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्ज में माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के के आदेश 7 मई, 2010 के अनुसरण में राज्य सरकार ने वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों, जिनके लिए युक्तिकरण प्रस्तावित किया गया था, की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अधीन आशय अधिसूचनाएं जारी की थी;

और माननीय उच्चतम न्यायालय कें आदेश तारीख 5-8-2011 द्वारा, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन अंतिम अधिसूचना जारी करने से पूर्व, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 से 26क और 35 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए भी राज्य सरकार को निर्देश दिए गए, जिस प्रक्रिया का सम्यक रूप से अनुसरण किया गया था:

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आईए न0 155 (पहले आईए न0 139 / 2010) में पारित आदेश तारीख 1–2–2013 द्वारा, राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों की सीमाओं के प्रस्तावित युक्तिकरण की बाबत वन्य

जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क, 35(4) एवं 36क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने को अनुमत किया है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्या एफ.एफ.ई.—बी—एफ.(6)—2/99—II तारीख 7—9—2001 के अधिकमण में वन्य जीव और पर्यावरण के संरक्षण, प्रसारण या विकसित करने के प्रयोजन के लिए, 31.00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तुरन्त प्रभाव से **लिप्पा आसरंग वन्य जीव अभ्यारण्य** घोषित करती हैं ।

तुन्दाह वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं निम्न प्रकार से होंगी:

9,416,4,4,611,4,61						
क्म	वन्य जीव	घटक	लिप्पा आसरंग वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं			
संख्या	अभ्यारण्य	i) जिला	.			
	का नाम	ii) वन मण्डल				
1	लिप्पा	i) किन्नौर	उत्तर:- टेटी गाढ़ के बिन्दू 3440 मीटर से नीचे की			
	आसरंग	ii) सराहन	ओर बिन्दू 3225 मीटर तक जोकि दक्षिण पूर्व से			
		(वन्य जीव)	बहती हुई नदी का टेटी गाढ़ में मिलान बिन्दू पर			
		मण्डल,	दर्शाया गया है ।			
			पूर्व:— बिन्दू 3225 मीटर से ढलानदार चोटी के			
			साथ-साथ जोकि भोगतो दोगरी के पश्चिम में है से			
			बिन्दू ४४६५ मीटर तक ।			
			14 % 1100			
			दक्षिण:- बिन्दू 4565 मीटर से चोटी के साथ (कल्पा			
			और मोरंग की तहसील सीमा) ऊंचाई बिन्दू 4404			
	,		मीटर, 4977 मीटर, 5122 मीटर से ड्रिमबलिंग हिम			
			l l			
			नदी के ऊंचाई बिन्दू 5088 मीटर तक ।			
	1		पश्चिम:- बिन्दू 5088 मीटर से ड्रिमबलिंग गाढ़			
			जोकि ड्रिमबलिंग हिम नदी से निकलती है के साथ			
			नीचे की ओर टेटी गाढ़ में बिन्दू 3440 मीटर तक।			

इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थितिः उत्तर (अक्षांश 31º 44' 21" उत्तर और देशान्तर 78° 15' 00" पूर्व) । पूर्व (अक्षांश 31° 40' 32" उत्तर और देशान्तर 78° 18' 07" पूर्व) । दक्षिण (अक्षांश 31° 39' 29" उत्तर और देशान्तर 78° 17' 24" पूर्व) और **पश्चिम** (अक्षांश 31° 41' 27" . उत्तर और देशान्तर 78° 13' 09" पूर्व) । यह क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट नम्बर 53आई / 2 और 53आई / 6, (पैमाना 1:50,000) पर दर्शाता है ।

क्षेत्रफलः 31.00 वर्ग कि0मी०

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (वन) हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्टांकन संख्याः यथोपरि।

दिनांक शिमला-2,

7 जून, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश-शिमला-2
- 2. सभी मण्डलायुक्त, शिमला, मण्डी व धर्मशाला मण्डल हिमाचल प्रदेश ।
- 3. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 4. प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश शिमला-1
- 5. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश-शिमला-1
- 6. समस्त मुख्य अरण्यपाल / वनमण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश ।
- 7. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
- समस्त मुख्य अरण्यपाल / अरण्यपाल / वनमण्डलाधिकारी, (क्षेत्रीय) हिमाचल प्रदेश ।
- सहायक विधि परामशी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 10. आयुक्त नगर निगम शिमला हिमाचल प्रदेश ।
- 11. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला—5 को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु । कृपया इसकी पांच अतिरिक्त प्रतियां छापी जावें ।

12. गार्ड फाइल ।

अवर सचिव (वन)

हिमाचल प्रदेश सरकार ।